निगरानी / टीए / 11345 / 2002 / बून्दी
मन्नी बाई बनाम यशोधरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री एस.डी विजय, अधिवक्ता प्रार्थी (2)श्री महेश शर्मा अभिभाषक अप्रार्थीगण **निर्णय** **दिनांक 2–8–19** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–02 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– निगरानी पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। 3– दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया और तर्क दिया कि निगरानीधीन आदेश खिलाफ कानून होने से काबिल निरस्तनीय है। उनका यह भी तर्क है कि निगरानीधीन निर्णय स्पीकिंग आर्डर की तारीफ में नही अता है। इसलिए भी उक्त आदेश त्रुटि पूर्ण होने से निरस्तनीय है। अन्त में निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन आदेश को निरस्त किया जावे। 4– इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से निगरानीधीन निर्णय को उचित व कानूनी सम्मत बताते हुए निगरानी को निरस्त करने का निवेदन किया गया। 5– विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की निगरानी पर बहस सुनी	

निगरानी / टीए / 11345 / 2002 / बून्दी
मन्नी बाई बनाम यशोधरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गयी है। 5— उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। 6— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है प्रकरण में राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 6—9—2000 द्वारा अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वाद में सभी आवश्यक पक्षकारान को पक्षकार बनाते हुए अन्य गॉव की भूमि को शामिल करते हुए नया दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। तदोपरान्त उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन द्वारा दिनांक 20—10—2002 को उभयपक्ष को सुन कर वाद संख्या 191 / 01 को वापस लेने की स्वीकृति इस शर्त पर दी गयी कि वादी समस्त भूमि को शामिल कर नया वाद पेश करे। निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में यह आपत्ति प्रकट की गयी कि उक्त निर्णय की जानकारी होने के बाद भी गैरनिगराकार / वादी ने उपखण्ड अधिकारी के समक्ष राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के 14 दिन के अन्दर आदेश 6 नियम 18 के तहत संशोधित वाद पेश नही किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वापस लेने की स्वीकृति प्रदान कर दी। 7— उल्लेखनीय है कि राजस्व अपील अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 6—9—2000 में यह सभी आवश्यक पक्षकारान को	

निगरानी / टीए / 11345 / 2002 / बून्दी
मन्नी बाई बनाम यशोधरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पक्षकार बना कर तथा अन्य गॉवों की भूमियों को शामिल कर नया वाद प्रस्तत करने की अनुमति दी गयी थी। 8— अतः इस न्यायालय के मत में गैर निगराकार / वादी द्वारा प्रार्थनापत्र आदेश 6 नियम 18 सीपीसी के तहत संशोधित वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही थी। उनके द्वारा वाद को वापस लिये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया ,जिस पर उभयपक्षकारान को सुन कर समस्त भूमि को शामिल कर संशोधित वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गयी अतः स्पष्ट है कि उक्त आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश की पालना में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर ही ओदश प्रदान किया गया है, जिसमें यह न्यायालय किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही पाता है। परिणामस्वरुप हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	

निगरानी / टीए / 11345 / 2002 / बून्दी
मन्नी बाई बनाम यशोधरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए